उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 11/2022–23

रिया उर्फ लुधु किस्कू.....अपीलकर्त्ता

बनाम

सुनीता टुडू.....उत्तरकारी।

आदेश

17.01.2023

यह रे0मि0 (प्रधानी नियुक्ति) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–819/2007–08 में पारित आदेश दिनांक–02.08.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा–ढोलकट्टा अंचल रामगढ़ एक प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू थे। उनके मृत्यू के पश्चात् निम्न न्यायालय में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु लुधु मुर्मू, फूलमुनी मुर्मू, सनत किस्कू एवं रिया किस्कू, सा0–ढोलकट्टा, अंचल–रामगढ़ द्वारा आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा मौजा के अंतिम प्रधान के पुत्र सनत किस्कू को मौजा का प्रधान पद पर दिनांक–16.02.15 को नियुक्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0–14/15–16 दायर किया गया। इस पर तत्कालीन उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.02.15 में लिपिकीय भूल पाते हुए आवश्यक संशोधन हेतु निम्न न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् वाद को पुनः प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार मौजा ढोलकट्टा के अंतिम प्रधान के तीन पुत्र यथा मेनका किस्कू, गंगा किस्कू एवं सोमाय किस्कू थे। मौजा के अंतिम नियुक्त प्रधान गुंगा किस्कू थे। अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू एवं सोमा किस्कू के कोई भी वंशज जीवित नहीं है। फलस्वरूप अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू के बड़े भाई मेनका किस्कू के पौत्रवधु उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के कहना है कि पूर्व प्रधान गुंगा किस्कू की पत्नी वर्त्तमान में जीवित है। उनके जीवित रहते पूर्व प्रधान के बड़े भैया के पौत्रवधु को अंचल अधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर नियुक्त किया गया है।

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू का कोई भी वंशज जीवित नहीं है, जबकि अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू के पत्नी फूलमुनी मुर्मू वर्त्तमान में जीवित है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी पर नोटिश का तामिला के पश्चात् भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं है। फलस्वरूप उनके ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

आदेश दिनांक–13.09.22 के अनुसार अंचल अधिकारी, रामगढ़ से वंशावली तथा अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू की पत्नी फूलमुनी मुर्मू की जीवित होने के संबंध में प्रमाण की मांग की गई। इस आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पत्रांक–983/रा. दिनांक–08.12.22 को जॉच प्रतिवेदन न्यायालय को भेजा गया है, किन्तु प्रतिवेदन में अंतिम प्रधान के वंशावली एवं अंतिम प्रधान के पत्नी फूलमुनी मूर्मू के जीवित होने के संबंध में तथा अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू के संबंध में कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, बल्कि उत्तरकारी सुनीता टुडू एवं अपीलकर्त्ता रिया किस्कू से संबंधित वंशावली प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित है कि अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू के कोई वंशज जीवित नहीं रहने के कारण अंतिम प्रधान के बड़े भैया के पौत्रवधु उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an

opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

पुनः यह भी उल्लेख है कि:–

"The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman."

इसी प्रकार से Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724. के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के Division Bench द्वारा स्थापित किया गया है कि :–

"Section-6 refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner. It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of heir of the deceased Headman, unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village.The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act.

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.02.15 में अंतिम प्रधान के पत्नी फूलमुनी मुर्मू की आवेदन को "The Santhal Tribal Law is quite definite in to allowing females to inheritance" के आधार पर अस्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन उपायुक्त के R.M.A 14/15–16 में पारित आदेश दिनांक–15.12.15 में लिपिकीय भूल को पुर्नविचार हेतु प्रति प्रेषित के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी सुनीता टुडू को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। उत्तरकारी सुनीता टुडू भी महिला है, किन्तु "संथाल ट्राईवल लॉ" को इस पर लागू नहीं माना गया। उत्तरकारी अंतिम प्रधान के पौत्रवधु है, जबकि फूलमुनी मुर्मू अंतिम प्रधान की पत्नी है। और अपीलकर्त्ता के दावा के अनुसार वर्त्तमान में भी जीवित है। फुलमुनी मुर्मू अंतिम प्रधान की पत्नी होने के नाते उत्तरकारी के अपेक्षा अधिक दावा बनता है। इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश विरोधाभास प्रतीत होता है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–83/रा0 दिनांक–06.02.21 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मौजा के अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू के कोई भी वंशज जीवित नहीं है, जबकि अपीलकर्त्ता का दावा है कि अंतिम प्रधान के पत्नी फूलमुनी किस्कू वर्त्तमान में जीवित है।

इस संबंध में आदेश दिनांक–13.09.22 को अंचल अधिकारी से वंशावली तथा अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू की पत्नी फूलमुनी मुर्मू के जीवित होने के प्रमाण की मांग की गई है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ से उनके पत्रांक–983/रा0 दिनांक–08.12.22 द्वारा प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त है, उक्त प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन दिनांक–13.09.2022 के आलोक में मांगा गया आदेश के अनुरूप नहीं है। प्रतिवेदन में अंतिम प्रधान गुंगा किस्कू के वंशावली को दर्शाया गया ही नहीं है, साथ ही पूर्व प्रधान की पत्नी फूलमुनी मुर्मू के जीवित होने के संबंध में भी कोई प्रमाण भी समर्पित नहीं किया गया है, अर्थात न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में मांगा गया प्रतिवेदन अंचल अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा न्यायालय को समर्पित नहीं किया गया है, जो लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है। अस्पष्ट एवं अधूरे प्रतिवेदन के कारण इस वाद में अंतिम निर्णय लिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुर्नविचार के योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं प्रावधानों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत प्रतीत नही होता है, जिसे विलोपित किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुर्नविचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि :–

(1) संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति हेतु सभी दावेदारो के संबंध में विस्तृत जॉच प्रतिवेदन तथा अंतिम प्रधान के पत्नी फूलमुनी मुर्मू के जीवित होने के संबंध में प्रमाण प्राप्त कर नियमानुसार प्रधान की नियुक्त किया जाय।

(2) राजस्व उप निरीक्षक से न्यायालय के आदेश के आलोक में जॉच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के संबंध में अंचल अधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण अलग से मांग करें कि क्यों नहीं इस लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.02.23 12:36:09 +05:30
Location: 169.254.227.244